XEN(U)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक 10(6) ग्रावि/नरेगा/क.त.स./2010 जयपुर, दिनांकः–
26 MAR 2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के नियोजन के संबंध में।**
संदर्भः **विभागीय पत्रांक एफ 4(19)ग्रावि/नरेगा/पीओ/2009–10 दि0 18.09.09**

महोदय

संदर्भित पत्र द्वारा संविदा आधार पर अनुबन्धित किये जाने वाले कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक कार्मिकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई थी। कुछ जिला कलेक्टर्स एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है कि निर्धारित योग्यताधारी के कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से अतिरिक्त योग्यताधारी कार्मिक जो पूर्व से ही योजनान्तर्गत कार्यरत है का सेवा अनुबंध आगे बढाया जावे अथवा नहीं। कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योजना के कियान्वयन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संदर्भित पत्र के अनुसार ही रहेगी।

2. कनिष्ठ तकनीकी सहायक जो उक्त संदर्भित पत्र में वर्णित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते है तथा पहले से ही अनुबंध के आधार पर नियोजित है। यदि उनका कार्य गत वर्ष गुणवत्ता पूर्ण एवं बहुत अच्छा रहा है तो उन्हें इस वर्ष भी बिन्दु संख्या 4 के अध्यधीन अनुबंध पर रख लिया जावे।

3. इसी प्रकार लेखा सहायक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते है तथा उन्हें भी पहले से ही अनुबन्ध के आधार पर नियोजित किया हुआ है। यदि उनका कार्य गत वर्ष गुणवत्तापूर्ण एवं बहुत अच्छा रहा है तो उन्हें इस वर्ष भी बिन्दु संख्या 4 के अध्यधीन अनुबन्ध के आधार पर रख लिया जावे।

4. उक्त तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों के बारे में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के कार्मिक लगाने हेतु प्रमुख समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करणों में विज्ञप्ति जारी की जावे। निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी प्राप्त होते ही उपरोक्त बिन्दु 2 व 3 पर वर्णित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों को

तुरन्त हटा दिया जावे। इनके अनुबंध में ही यह शर्त रखी जावे कि निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी प्राप्त होते ही उनका अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।

5. यदि विज्ञापन के बाद भी निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होते है तो दिनांक 28.02.2011 तक बिन्दु संख्या 2 एवं 3 पर वर्णित तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों का अनुबन्ध जारी रखा जा सकता है।

भवदीय,

25/3/10

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

25/3/10

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस